

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 287 / 2016 / हनुमानगढ़

मैसर्स गर्ग सप्लायर्स,
गांव-सांगरिया, हनुमानगढ़।

.....अपीलार्थी।

बनाम्
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त-बी, वार्ड-प्रथम, हनुमानगढ़।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री सुरेश ओझा,
अभिभाषक
श्री आर.के.अजमेरा,
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 09.08.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 29.09.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, वृत्त-बी, हनुमानगढ़ (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 14.12.2011 के जरिये कायम की गयी कर 32,480/- ₹ शास्ति 69,600/- ₹ को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को अधिनियम की धारा 83 के तहत विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा वाहन हनुमानगढ़ में उक्त वाहन की चैकिंग की गई। वक्त जांच वाहन में सीमेन्ट परिवहनित की जा रही थी लेकिन जांच अधिकारी द्वारा माल के दस्तावेज वाहन चालक से मांगे जोन पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा माल के संबंध में दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया। धारा 76(2) के प्रावधानों की पूर्ति नहीं होने के कारण नियमानुसार धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया। करापवंचन का वाद दर्ज करने के पश्चात प्रकरण नियमानुसार सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित किया गया। सशक्त अधिकारी ने अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि उक्त वाहन में लदे माल सीमेन्ट के समर्थन में जवाब पेश किया कि अपीलार्थी द्वारा माल मैसर्स आशु गर्ग एण्ड कम्पनी, चौटाला से बिल संख्या 42 दिनांक 17.09.2014 के जरिये 1000 बैग सीमेन्ट का आयात किया है, जिसको सांगरिया में अनलोड न करवाकर 100 बैग सीमेन्ट का बिल नं. 130 दिनांक 17.09.2014 का मैसर्स चौधरी शटरिंग स्टोर अपंजीकृत फर्म को विक्रय किया

लगातार.....2

जाना बताया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एक अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि वक्त निरीक्षण माल के समय वाहन चालक ने जांच अधिकारी माल प्रेषण की स्थिती प्रकट कर दी थी। जांच स्थल पर फर्म मालिक द्वारा खरीद माल के संबध में बिल संख्या, माल की मात्रा व कीमत, प्रेषक व प्रेषिती के बिल नं., वैट-47 फार्म संख्या-ए-0176403 भी पेश किया। उन्होंने आगे कथन किया कि अपीलार्थी फर्म संगरिया में स्थित है तथा अपीलार्थी को मैसर्स चौधरी शटरिंग स्टोर से 100 सीमेन्ट बैग की भेजने हेतु आदेश प्राप्त हुआ था। फर्म मालिक ने 100 सीमेन्ट बैग का बिल मय वैट-47 पेश किया। अपीलार्थी द्वारा खरीद किये गये एवं विक्रय किये गये माल का इन्द्राज अपनी नियमित बहियात में दर्ज कर लिया था तथा जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था लेकिन फिर भी उसे नहीं माना। अधिकृत प्रतिनिधि ने आगे बहस करते हुये तर्क दिया कि सशक्त अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, इन्द्राज, लेखा आदि को मिथ्या व बोगस प्रमाणित नहीं किया न हीं दस्तावेजों की कोई जांच की गई। अतः उन्होंने सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त करते हुए व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।


5. राजस्व के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी व सशक्त अधिकारी के आदेशों का समर्थन किया एवं कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं शास्ति उचित है। अतः उन्होंने व्यवहारी की अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षीय बहस सुनी गई व रेकार्ड का अवलोकन किया गया रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवहनित माल के साथ बिल व बिल्टी दोनों ही मौजूद नहीं थे। वक्त जांच के समय माल प्रभारी द्वारा स्वीकार किया गया था कि उसके पास माल से संबंधित कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। कुछ समय पश्चात फर्म मालिक द्वारा 100 बैग सीमेन्ट का बिल प्रस्तुत किया लेकिन 900 बैग सीमेन्ट बिना बिल के परिवहनित होना करापवंचन की मंशा को सिद्ध करता है। जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये गये बिल उसकी पश्चातवर्ती सोच (After Thought) को दर्शाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्वनिर्धारित निर्णय डी.पी.मेटल्स के अनुसार अगर व्यवहारी ने पूर्व में विक्रेता को वैट-47 भेज रखा है और अगर गलती से परिवहनित माल के साथ संलग्न नहीं किया जा सका है तो वह नोटिस के जवाब के साथ पेश कर सकता है जो वह स्वीकार योग्य है, लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में बिल, बिल्टी व घोषणा पत्र अस्तित्व में नहीं होना पाया गया है।

चैकिंग करने पर माल परिवहन के समय धारा 76(2) की पालना में बिल, बिल्टी एवं घोषणा पत्र वाहन चालक के पास नहीं पाये गये। यह धारा 76(2) का स्पष्ट उल्लंघन है जिसके लिये धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपण विधिसम्मत है। माल को पकड़े जाने के पश्चात कार्यवाही से बचने के लिये प्रस्तुत जवाब व अपूर्ण दस्तावेज पेश किया गया है। फलतः अधिकृत प्रतिनिधि का तर्क अस्वीकार किया जाता है। सशक्त अधिकारी ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वा.क.अ. (2007) वैट रिपोर्टर पार्ट 2 पेज 8 जिसके अन्तर्गत परिवहनित माल के साथ बिल, बिल्टी व अन्य संबंधित दस्तावेज होना अनिवार्य है जिसकी अवहेलना करने के कारण आरोपित शास्ति विधिसम्मत है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।


(मदन लाल मालवीय)
सदस्य